राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
(श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय)
दुर्गापुरा, जयपुर–302018

दिनांक: 25-2-2020

ई-निविदा सूचना

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के अभिक आपूर्ति की 
ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट से http://eproc.rajasthan.gov से डाउनलोड किया जा सकता है 
sppp.rajasthan.gov.in, www.sknau.ac.in और www.raridurgapura.ac.in देखा 
जा सकता है। इ-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्मेट में वेबसाइट 
http://eproc.rajasthan.gov पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 
1000/-. RISL प्रोसेसिङ फीस राशि 1000/- व बोली प्रतिमूलति राशि (bid security) रूपये 
190000/- के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 06.03.2020 समय दोपहर 11.00 बजे तक 
निदेशान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में करवाना आवश्यक है। यह 
निविदा sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेंर को निजवा कर निवेदन 
   है कि आप अथवा आपका नोमिनी नियुक्त कराएं।
2. प्रसारण, सिमुकर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेंर को प्रेषित कर लेख है कि इस 
   ई-निविदा को http://eproc.rajasthan.gov, sppp.rajasthan.gov.in एवं 
   विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएं।
3. डॉ. रानी सक्सेना, सहायक आचार्य को मेजर कर लेख है कि उक्त ई-निविदा को 
   www.raridurgapura.ac.in पर आज ही अपलोड करें।
4. संयोजक /सदस्य, निविदा समिति, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. ऑवर ऑल इंजिनियर /फार्म इंजिनियर, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. आहारण एवं वित्तरण अधिकारी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
7. कैग्रियर, लेखा ग्राम, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर/श्री कर्ण नरेंद्र कृषि 
   विश्वविद्यालय, जोबनेंर।

निदेशक

Date: 21/07/2022
कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-निविदा सूचना

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक की आपूर्ति की दर संविदा हेतु प्रतिलिपित एवं अनुमोदि प्रजीवित सेवा प्रदातासंस्थाओं/फर्मों से ई-निविदाएं निम्न विवरणानुसार आयोजित की जाती है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>विवरण</th>
<th>अनुमानित राशि (रु. लाखों में)</th>
<th>बोली प्रतिभूति (bid security) (रु. लाखों में)</th>
<th>ई-निविदा शुल्क (रु.)</th>
<th>प्रकृणित मौटिंग की तिथि व समय</th>
<th>ई-निविदा प्रक्रिया की अंतिम तिथि एवं समय</th>
<th>ई-निविदा प्रक्रिया करने की तिथि एवं समय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति</td>
<td>95.00</td>
<td>1.90</td>
<td>1000.00</td>
<td>27.02.2020 प्रताप: 10 बजे से</td>
<td>01.03.2020 प्रताप: 11 बजे</td>
<td>05.03.2020 सांत 4 बजे तक</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ई-निविदा

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-निविदा सूचना।

<table>
<thead>
<tr>
<th>निविदा क्रमांक:</th>
<th>प्रकृणित दिनांक, समय व स्थान:</th>
<th>01.03.2020 समय प्रताप: 11.00 बजे स्थान निदेशक कार्यालय, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ऑनलाइन दिनांक प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय:</td>
<td>05.03.2020 समय सांत 5.00 बजे तक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security):</td>
<td>रु. 1000 /— निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रतिभूति रु. 190000 /— निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के पख्त में देख</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RISL प्रस्तुतिंग शुल्क:</td>
<td>1000 /— रु. (प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पख्त में देख)(MDRISL JAIPUR)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रस्तुतिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के दी.डी.आई.आई.एस.एल. प्राधिकार के नियमों के अनुसार दुर्गापुरा, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 06.03.2020 समय दोपहर 1.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे।

निदेशक
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
(श्री कारण नंदन कृषि विश्वविद्यालय)
दुर्गापुरा, जयपुर—302018

कार्य की अनुमानित लागत — 95.00 लाख
बोली प्रतिमूल्य (bid security)— 1.90 लाख

प्रपन 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाइन ई--निविदा जमा कराने
की अतिम तिथि 05.03.2020
समय 4.00बजे तक
ई--निविदा प्रपन शुल्क – ₹० 1000/–

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणियों के अभियुक्त की ई--निविदा सूचना

1. ई--निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,

2. डाक का पता एवं टेलीफोन न. लेख्दलाईन, मोबाइल व ई--मेल सहित

3. कार्यालय का पता, दूरभाष नंबर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर

4. किसको संबोधित किया गया — निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर

5. ई--निविदा सूचना संदर्भ ...

6. ई--निविदा प्रपन शुल्क की राशि 1000/– एवं बोली प्रतिमूल्य (Bid Security) ₹० 190000/– का
    डिमांड ड्रापट/बैंकर चेक संख्या कमांश: ...............

7. हम निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा जारी की गई ई--निविदा
    सूचना संख्या ............ दिनांक ............ में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई
    उल्लंघन ई--निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाह्य होना स्वीकार करते हैं।

8. ई--निविदा प्रपन के साथ संलग्न प्रपन 'ब' में दर्शाये गये कार्य संक्षीय दरें सभी करों व आनुपालिक
    प्रभारो सहित अंकित है।

[Signatures]
9. सभी कार्यों के लिए संस्थान की विभिन्न इकाइयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मान के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

10. कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी अध्यक्ष के अभियंत को आपूर्ति हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रभावित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

11. ई-निविदा सूचना में अंकित निविदा शुल्क, बोली प्रतिमृति (bid security) एवं प्रोसेसिंग फीस का डू.सी./बी.सी. के भौतिक रूप (Physically) से निर्देश, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना है। ई-निविदा दिनांक 05.03.2020 को सायर 4.00 बजे तक तकनीकी निविदा विभाग की वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov पर आवश्यक रूप से Upload की जानी है।

12. ई-निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जो तकनीकी विभाग द्वारा लिखे गए पत्र की तिथि को बिना हो। प्रपत्र "र" सलाम है।

13. टर्न ऑवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।

14. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए जो क्रमात्मक आवेदन प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।

15. ई-निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निवेश एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रपत्र "र" सलाम है।

16. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिमृति (Bid Security) के डी.डी./बी.सी. की स्थापना प्रकार आवश्यक रूप से ई-प्रोजेक्ट मैं पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर भगवती मोहन
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विद्यालय)
दुर्गापुरा, जयपुर—302018

दिनांक:

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म / कम्पनी / सोसाइटी जिन्हें सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुमोदन हो, निविदा भर सकते हैं। ई–निविदा प्रपत्र वेबसाइट “http://eproc.rajasthan.gov.in” से डाउनलोड किया जा सकता है एवं इसे वेबसाइट “www.dipronline.org”, www.sknav.ac.in & sppp.raj.nic.in एवं वेबसाइट www.raridurgapura.ac.in पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्मेट में वेबसाइट “http://eproc.rajasthan.gov.in” पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि : रु. 1000–, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 1000.00 व बोली प्रत्यामूलि (bid security) के अलग–अलग ढी.ढी./बी.बी. की स्केन प्रति आवश्यक रूप से अप्लाड करने के उपरांत दिनांक 06.03.2020 समय दोपहर 11.00 बजे तक निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वाहिका पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ऑवर 10.00 लाख हो। इस हेतु वाहिका प्रायोगिक तरतुक बैलेन्स शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग राज्य / केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रावधान पन्तकल नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है।

3. फर्म/कम्पनी द्वारा जो कि विक्रय एवं सरकारी प्रत्यामूलि/उपकरण में कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति कार्य का अनुबंध अथवा अन्य विधि द्वारा संलगन करना पता होता है।

4. आवेदक की पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्व पते, दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर सहित होना अनिवार्य है।

5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

6. सेवा प्रदाता को श्रमिकों के कार्यालय में शामिल विभिन्न रूपों में मालिकानात्मक पंजीकृत होना अनिवार्य है।

7. श्रम विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा अमोदित शर्तें लागू होंगी।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिमूलि (Bid Security) जमा करना

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रु. 1000.00 एवं बोली प्रतिमूलि (Bid Security) रु. 1900000/-का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या व दिनांक व निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के पक्ष में देख तथा आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 1000.00 डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या …………………….दिनांक …………………….प्रवचन निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देख भौतिक रूप (Physically) से निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के कार्यालय में जमा करवाया दी गई है।

[Signature]
C. कायम का विवरण एवं निविदा की शर्तें
कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति के लिए शर्तें—

1. ठेकेदार को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करावे समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

2. अगर ठेकेदार अपना कार्य निषिद्ध अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संरक्षणक नहीं करते पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा बोली निरीक्षण एवं अमानत राशि जतन कर ली जायेगी।

3. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 30 प्रतिशत पुरुष श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा जिनके कम पुरुष श्रमिक होंगे उसके अनुसार ₹50 40/— प्रति पुरुष श्रमिक के हिसाब से शासित (पैनेल) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिक के देय भुगतान में से इस शासित (पैनेल) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।

4. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर से बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परीक्षित निरीक्षित न्यूनतम दर एवं अन्य के आनुपातिक दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान कराया व इसी परीक्षित निरीक्षित दर के अनुसार निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिक का भुगतान करना होगा।

5. विवाहविधालय द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो बी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर ₹500/— प्रतिदिन के हिसाब से निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में शासित (पैनेल) की राशि जतन करानी होगी। ठेके के अधीन कार्यस्थल श्रमिकों का भुगतानबैंक में ट्रांसफर करना होगा।

6. फार्म पर श्रमिकों की प्रतिदिन कार्य कराई गई उपलब्धता की संख्या व फार्म पर लगाने वाले श्रमिकों के नाम की सूची फार्म कार्यालय में हस्ताक्षर व फार्म की माह लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति का कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर फार्म स्टाफ को किसी प्रकार का संदेह किसी भी कार्यस्थल श्रमिक के उच्च इत्यादि पर होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।

7. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिस्ट सूचना हस्ताक्षर सहित निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।

8. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गए श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसका उल्लक्षित यथा ठेकेदार का होगा, नुकसान की बास्तूली का पूर्ण अधिकार निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को ठेकेदार से होगा।
9. सिंचाई हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में कार्य हेतु पुरुष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे अथवा भिन्न दिन वर्ष 3 में अच्छी निर्धारित शासित (पेन्सिल) देनी होगी।

10. ठेकेदार को यथासमय एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की अनुसंधान कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सार्वजनिक फार्म इन्वार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। किसी प्रकार के कारणों से या आक्रमक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करराहे जाने वाले श्रमिक के मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9.00 बजे तक ठेकेदार को फार्म इन्वार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। सूचित नहीं करने पर मांग के अनुसार ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहे उस दिन के श्रमिकों को फार्म इन्वार्ज कार्य है या नहीं फिर भी अधिकरण लेना होगा।

11. ठेकेदार अनुसंधान कार्य के महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा तो निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देना होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

12. श्रमिकों का कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देनी नहीं होगी। अनुसंधान कार्य की आवश्यकता को मध्यमजर स्तर पर श्रमिकों की उपलब्धता देने ठेके की अवधि RTPPR 2012 एवं RTPPR 2013 में उल्लेखित प्राक्काल से घटाई जा सकेगी।

13. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुसूच नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अपमान राशि जटल करने एवं अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर हो गाया।

14. निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा।

15. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुस्मरण और उसके पंजीयन की प्रमाणितकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।

16. यो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो सभी कार्यों के लिए प्राप्त दरों के आधार में न्यूनतम प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जायेगा तथा निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर द्वारा किया गया निर्णय अतिम व सर्वमात्र होगा।

17. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में संस्थान में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। संस्थान में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक संस्थान के समबंधित व्यक्तियों द्वारा सत्य विज्ञान किमांग के फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होंगे व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंतिम करते होंगे।

[Signature]
18. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्पूर्ण अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण कर लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उससे ही राशि संस्थान उसकी अमानत राशि में से पैनेटी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य समाप्त न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शाला को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए बेकार होने के लिए ब्यौरे होने के लिए जायेगा।

19. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, इलाज भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, पशुपालन, प्रायोगिक कार्य, चौकीदारी आदि कार्यों की महत्त्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अपूर्ण छोड़ता है तो संस्थान उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा बोली प्रतिष्ठीत एवं अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अंदर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रतिष्ठीत यदि तीन बार तपासा पूर्ति होती है तो निदेशक, राजस्थान श्री अनुसंधान संस्थान, दुर्गपुर, जयपुर को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता को बोली प्रतिष्ठीत एवं अमानत राशि भी जतव कर ली जायेगी।

20. निविदा फार्म में दर्शाये गए कार्यों का विवाहण नहीं किये जाने के उद्देश्य से अलग अलग कार्यों के लिए निविदादाता द्वारा जो दर प्रस्तुत की जायेगी उनके न्यूनतम दर का आकलन उस निविदा के समान सम्पूर्ण कार्यों हेतु दी गई दर के औसत के आधार पर किया जायेगा।

21. मैनीजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य ठेकेदार कर सकते हैं।

22. संस्थान द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मों में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23. अन्य शाखा एवं नियम RTPPA, 2012, RTPPR, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।

24. वाचित सभी दस्तावेज नुक्लेक एवं शाखा इत्यादि स्थान कर अपलोड कर दिये हैं। भौतिक रूप से केवल तीनों प्रकार के शुल्क जमा करवा दिये हैं।

25. शाखा/नियम स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर लगा दी गई है।

26. न्यूनतम गर्मी-दृर्त अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्राधिकारों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

27. राजस्थान अनुसंधान श्रमिक (नियम इत्यादि एवं उपनियम) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीका अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु आर्थि होगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे इसे बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपाधि संस्था को प्रस्तुत कर ली जायेगी।

28. यदि किसी उपाधि संस्था को अंशकालिक मानच संस्थान की सेवाओं की 4 पर्याय से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट
उल्लेख करते हुए संबंधित उपाय संस्था द्वारा विदेश संबंधी कार्यालय की जानकारी। ऐसे अंशकृतिक मानद संस्थाप्तित जिनकी सेवाएं 4 घंटे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं की विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50% प्रतिशत राशि पर की जाएगी।

29. संवेदन द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदन द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपाय संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपाय संस्था की संपत्ति होने पर ही संवेदन को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

30. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का आवश्यक संबंधित संवेदन का होगा।

31. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपाय संस्था द्वारा संवेदन को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

32. संवेदन को राज्य/केंद्र सरकार की नीतिनयान दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदन का अंशदान शामिल होगा। संवेदन द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पृष्ठ में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदन को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

33. संवेदन द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डिस्ट्रीब्यु प्रदान उपेक्षा जायें, जिन पर संवेदन का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रमाण, श्रमिकों हेतु हेल्थलाइन नंबर एवं संवेदन द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्राध्यापन का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

34. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का आवश्यक संवेदन का होगा।

35. संवेदन द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के कारों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदन की ही होगी। संवेदन द्वारा गात माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त शिकायत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की दायित्वों के निर्वाह का उत्तरदातीत संवेदन का होगा।
36. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संबंधक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संबंधक स्वयं उत्तरदायी होगा।

37. यदि संबंधक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रवृत्कीय जिम्मेदारी संबंधक की होगी। इसके लिये उपाधि संस्था का संस्था प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुसंधान श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उपयोग प्रकार से तथा निदर्शात्मक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

38. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्व कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विज्ञापन प्राप्त करने के अनुसार ब्रह्म नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, नोटिस बेतान, छठनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संबंधक का होगा।

39. कार्य सम्पादन अधिक के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की शक्तिपूर्ति या मुआवजा देने/ई-एसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संबंधक का होगा, इसके उपाधि संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

40. यदि संबंधक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपाधि संस्था को प्राप्त होती है तो उपाधि संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी एवं नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संबंधक को हिसाब मानने की कार्यवाही करेगी।

41. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति में मददेंजर किसी निर्धारित प्रतिष्ठात में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रही हो तो उत्तर अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पुराने से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी उपाधि संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रही है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संबंधक को किया जायेगा। उन्मूलनार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संवर्धित संबंधक का होगा।

42. उपाधि संस्था संबंधक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यदिशा की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित की जायेगी।
I. निविदा का खोला जाना

दिनांक 05.03.2020 को दोपहर 4.00 बजे तक Upload निविदा प्रपत्रों को दिनांक 06.03.2020 दोपहर 2.00 बजे कथ समिति द्वारा एवं उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिमूलि राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिमूलि को (Performance Security) जरिये हिडाइल्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आईर निदेशांक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के नाम जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिमूलि (Bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिमूलि निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संचालनकार पूर्ण करने पर ही लीटाइज जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से /अशंका: जब की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉर्ट की किसी प्रकार की दुर्घटना पर भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी नियम/नियमितियत/अथवा नियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखें गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, निःपत्र व निःवािल नमूद उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

IV. ई-निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या अवधि: रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करने या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएगा। एक बार ई-निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात वापस लेना का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। परिस्थिति बिड सिक्यूरिटी, RSIL फीस एवं निविदा शुल्क के अपलोड एवं भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में ई-निविदा फार्म रद्द कर दिया जाएगा। ई-निविदा में प्राप्त दरें बाल्टी (Negotiation)/विना बाल्टी स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार संस्थान को होंगे जो निविदादाता के लिए बाल्टीकारी होंगे।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र “अ” में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन समाविष्ट है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 95.00 लाख प्रतिवर्ष है। संस्थान द्वारा आयकर स्टेट्स पर करे काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुमंडत की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

[Signature]

[Signature]
VII. अनुबन्ध
सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹0 5,000/- के नीचे ज्युडिशियल स्टॉप टेंडर पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रस्तुति करते हुए अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अनु प्रेरित से करा लिया जाएगा। यदि दोनों पक्षों ने कारंट वाह गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आपुत्तातिक आधार पर पैकेज सेवाओं बढाई/घटाई जा सकती है।

VIII. भुगतान की शर्तें
बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमार्ग स्वीकृत इकाई प्रमाणीकरण भुगतान करेगा। उक्त सेवाओं के बदले संस्थान द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चेक द्वारा किया जाएगा।

IX. भुगतान की जिम्मेदारी
निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता किसी भी कारण भुगतान करने का विरोध करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भुगतान होगा। वर्तमान कार्यों के किसी भी कारण से भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भुगतान होगा।

X. माध्यम
निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के रूप में निर्देशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुराण, जयपुर का निर्माण अवधि तथा बाध्यकारी होगा।

XI. कार्यान्वयन का निरस्त करण
निर्देशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुराण, जयपुर को किसी भी कार्यान्वयन को निरस्त करने पर दिना कोई भुगतान किए गए पूर्तित/आशिक रूप से निरस्त करण के समृद्ध अधिकार होगे। लेकिन यह मात्र असामाजिक विशेष तत्त्वों में ही हो सकता है।

XII. निविदा शर्तों की स्थितापरिवर्तित
निविदादाता से यह आपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक कारण पर अपने तथा हस्तक्षेप करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उसके पूर्ति का सी जा हो सकती है। अहसासशृंखला निविदा की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेखी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा कर जाएगी।

XIII. ई-निविदा के अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 ई-निविदा के लिए ई-निविदा एवं सेवा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपाध्याय में पारंपरिक आधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपाध्याय में पारंपरिक नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगे।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लैक लिटेड फर्म ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य का दिखाया हुए अपात्र ई-निविदा प्रस्तुत
किसी है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब भी हुए आपराधिक प्रक्रिया जारी रखना होगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणनीय तुर्कियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निर्माणित आधार पर, सार्वजनिक रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणनीय तुर्कियों का सुधार करेगी, अर्थातः

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिव्यक्त होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में क्षति की स्थिति में रोक गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कृष्ट कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में तुर्कियों रह गयी है तो घटक अभिव्यक्ति होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में तस्कर की सरकार तब तक अभिव्यक्ति होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्ति रकम कोई अंकगणनीय तुर्कियों से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्योपन रहते हैं अंकों में अभिव्यक्ति रकम अभिव्यक्ति होगी।

XVI. सत्यनिष्ठा सहिता – उपाधन प्रक्रिया में भाग लेने वालों कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपाधन प्रक्रिया में अनुशंसित फायदे के लिए या अन्य उपाधन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तत्त्वक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्योगोद्धार या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदे अभिव्यक्ति करने के लिए या किसी बायाँता से प्रविष्ट रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपाधन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभाव को बाधित करने के लिए किसी भी दुरसमस्या, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतिभागिता चरों आवश्यक में लिख नहीं होगा।

(घ) उपाधन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपाधन प्रक्रिया में अनुशंसित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपाधन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रभीड़ में लिख नहीं होगा।

(च) उपाधन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखपरीक्षा में बाढ़ नहीं ढालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमबंध को या किसी अन्य उपाधन संस्था द्वारा किसी विवरण को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

(1) किसी उपाधन संस्था या उसके कर्मियों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के
पद्धति कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविधान वातावरण के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुज्ञात रूप से प्रभावित कर सकता है।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्यालय के कार्यों में समझे जाएगे, निर्देशित समिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्यालय का निजी हित, जैसे कि बाहरी वृत्ति या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आर्थिक वस्तुओं, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्ति क्षेत्रों के आयात बाध्यों का समृद्धिपूर्व आमने-आमनेवाले हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतिष्ठा होते हों।

(ख) उपापन परिदृश्य में उपापन संस्था के किसी कार्यालय का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विभागीय और आर्थिक या अन्य बाहरी क्रिया कलाप और सम्बन्धित, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में स्थानांतरित कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानचित्रण, वित्तीय और भौतिक आर्थिकों सहित आर्थिकों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पद्धति मांगों से अलग जाना का उपयोग, या किसी ऐसे अवसर की स्थिति पर प्रतिकूल ब्रह्मान्य अवधारणा समिलित है जिससे उपापन संस्था का कार्यक्रम पक्ष नहीं होता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उपन संस्था हो सकता है जहाँ उपापन संस्था का कार्यक्रम या अप्रत्यक्ष रूप से, कृषि, ग्रामीणों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष हो लेता है, सहित किसी तुलनात्मक पक्षकार को उपापन संस्था के कार्यक्रम को कार्यक्रमानें या विश्वास विनाश के फायदे पहुँचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें समिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जाएगा जिसमें निर्देशित स्थितियों समिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,-

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोगों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माध्यम से दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता है।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है।

तथापि, यह एक ही उपसंहारकार को एक से अधिक बोली में समिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(घ) बोली लगाने वाले या उससे सहवाह जिन्होंने व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के अनुसार या तकनीकी विनियमों को तैयार करने में सहायक के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्थात् कस्टोर और बोली प्ररूप में यह विचार
उपलब्ध कराएगे कि बोली लगाने वाला उस सताहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपपान की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबंध है और नहीं संबंध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपपान प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निष्कर्षण – प्रथम अपील आर्थिकार्य माननीय कुलपति, श्री कर्न नरेंद्र क्रिष्ण विश्वविद्यालय, जोनबेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील आर्थिकार्य प्रभू शासन सचिव/अंतर्द्वेष कुलपति, क्रिष्ण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिकार्य होगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपपान में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्येर्थ हेतु हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भागी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्त है कि उपपान संस्था का कोई नियम, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपरोक्तों के उल्लंघन में है तो वह उपपान संस्था के ऐसे आर्थिकार्य को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदार्पित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिस पर वह व्यक्त है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिर्देश या कार्यवाही या, यथार्थता, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-आर्थिक दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्राप्त-य'-) में अपील दाखिल कर सकेंगा।

पर्सन बोली लगाने वाले के सफल होने की धोखण के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेंगी जिसके उपपान कार्यवाहियाँ में भाग लिया है।

पर्सन यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपपान संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मुत्युक्तन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेंगी जिसकी तकनीकी बोली स्थिकर्ष होने-वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदार्पित अधिकारी पक्षकारों को सूचना देने का युक्तिपूर्वत अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अक्षम रूप से पसंद नहीं होगा कि उपपान संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपरोक्तों और पूर्व-आर्थिक के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथार्थता, बोली दस्तावेजों के निर्देश का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेंगे जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा-समय शीघ्र विचार करेंगे और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेंगे।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदार्पित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भागी बोली लगाने वाला या उपपान संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्त है तो बोली लगाने वाला या भागी बोली लगाने वाला या, यथार्थता, उपपान संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसम्य से या, यथार्थता, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्हद दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदार्पित किसी अधिकारी या आर्थिकार्य को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेंगा।
(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदार्थ संदर्भ अधिकारी या प्राधिकारी पदार्थों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के परिचालन में वह असहायता करेगा कि क्या उपाधम संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक शिखरों के उपरिवर्तित और पूर्व-आर्थिक के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रेट्रीकरण के दस्तावेजों या, यथासंधित, बोली दस्तावेजों के निर्धारण का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पदार्थों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्बन्ध शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि से भी बोली अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकनेवाली, पूर्व-आर्थिक के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रेट्रीकरण दस्तावेजों या, यथासंधित, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्यक्ष अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी शीर्ष से दाखिल होनी और उसके साथ ऐसी फीस होनी जो विधि की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सूचना के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रियाएँ-नियमों का अनुसरण करेगा जो विधिक किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सूचनाओं के संस्करण का ही न दर्शानी के अधीन अपील दाखिल या जो विधि के प्रवर्तन या उक्तियों के प्रति अपील दाखिल या बोली लगाने वाले या हिस्से के संस्करण के विधि सम्बन्धी व्यक्तिवादियों के प्रति प्रभावी प्रमाण दालेगी, इस धारा के अधीन कोई प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव दालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारूप —

(1) राजस्थान लोक उपाधम में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रमूख —व) में उत्तरी प्रतिभाओं के साथ होगी जितने कि अपील में प्रवर्तित है।

(2) प्रत्यक्ष अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संस्करण के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्यक्ष अपील प्रथम अपील प्राधिकारियों या, यथासंधित, द्वितीय अपील प्राधिकारियों को व्यक्तियों का रजिस्ट्रेट्रीमूल डाक द्वारा या प्रदर्शित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस —

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदिन होगी।

(2) फीस का संस्करण किसी अधिनियम बैंक के बैंक मंगळदेह डाट या बैंकर बैंक के रूप में किया जाएगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देख होगा।

[Signatures]
3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रतिबंध को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी सिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निषुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश साध्य लोक उपाधिन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

निदेशक

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का साक्षात्कार पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है लेकिन मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहूंगा/रहेंगे।

ई—निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर
वार्षिक टर्न ऑवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ........................................................... का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ऑवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>वित्तीय वर्ष</th>
<th>टर्न ऑवर (राशि ₹.लाखों में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2016–17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2017–18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2018–19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कुल टर्न ऑवर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>औसत टर्न ऑवर</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

दिनांक:

अंकेक्षक/सन्दी लेखाकार का

नाम भय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या
ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेजमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विभिन्न 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सत्त्वप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ..................... of ..................

Before the ........................................ (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appealant:
   (i) Name of the appellant
   (ii) Official Address, if any
   (iii) Residential address

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal
   ........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................(Supported by an affidavit)

7. Prayer
   ........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................

Place ........................................
Date .................................

............................................................
Appellant's Signature
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम.</th>
<th>विवरण</th>
<th>रज.स.</th>
<th>वर्ष</th>
<th>पंजीकरण दिनांक</th>
<th>सलग्नक क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>कर्मचारी सभित निधि अधिनियम, 1952</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>वस्तु एवं सेवा कर (GST)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>आय कर (पैन नंबर)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>या</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>या</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

[Signature]
## राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर—जयपुर

### वित्तीय विषय

निविदा खुलने के 90 दिन तक निविदा स्वीकार करने के लिए वैध मानी जायेगी, निविदा में मान्य दरे एक वर्ष तक वैध मानी जायेगी।

प्राप्त्र "ब"

### वित्तीय निविदा

मै/हम निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दरे प्रस्तुत कर रहे हैं

### वित्तीय निविदा

(पूरक लिखाए में रखे)

प्राप्त्र 'अ'

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर—जयपुर

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.स्र.</th>
<th>कृषि कार्य</th>
<th>संस्थान द्वारा अनुमानित दर</th>
<th>सेवाप्रदाता ऐजेसी/फर्म द्वारा दी जाने वाली दरे</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>प्रयोगों की बुद्धाई—वानस्पतियों के अधिरित-टेंकटर द्वारा (टेंकटर फर्म का होगा)</td>
<td>3785/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>गिराई—लुगाईसमी फसलें व याद पाता (2-8 दिन की समय शीमा तक)</td>
<td>8000/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अ. कुदाली द्वारा</td>
<td>6920/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ब. खरपी द्वारा</td>
<td></td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>कटाई, खाड़ई एवं इकट्ठा करना (A) गेहुँ, जी (B) बाजरा (लुबाई भी शामिल है)</td>
<td>7355/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>व(म) दलहनी, शिलहनी एवं अन्य साँपी फसलें व खरीफ़ फसल (2-8 दिन की समय शीमा तक)</td>
<td>6385/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(क) मूर्ताली के प्रयोगों की हाथ द्वारा खुदाई, तुड़वाई एवं स्टोर में रखना</td>
<td>21630/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>मूर्ताली बीज उपयोग को टेंकटर द्वारा ब्रेसिंग (टेंकटर, मूर्ताली ब्रेसिंग श्रमिक ठेकेदार के होते)</td>
<td>8545/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>मूंग, चवता की फलियाँ लुबाई हाथ द्वारा दो बार (प्रयोग एवं बीज उपयोग को करने में)</td>
<td>8650/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>नृपसी से याझ पौधा की खुदाई करने पौधों की क्षेत्रियों में 15 X 10 सेमि. की लाइन में लगाना</td>
<td>20000/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>प्याज कदाच दी खुदाई, पत्ता की कटाई, तुड़वाई एवं स्टोर में रखना</td>
<td>19465/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>प्याज बीज हेतु कदाच को स्टोरिंग से खेत में लाना, उपचार एवं बुवाई करना</td>
<td>16220/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>प्याज बीज के पके हुए फूलों की हाथ द्वारा 2-3 बार में तुड़वाई, हाथ हिलने के बाद स्टोर में रखना</td>
<td>19885/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>सिचाई/हेक्टेयर (दिन—दात) फसल सिचाई — 4 घंटे</td>
<td>1275/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>प्रयोगों में रेखाकार (ले—आउट)</td>
<td>5300/- प्रति है।</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>क.सं.</td>
<td>कार्य की प्रकृति</td>
<td>कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या</td>
<td>श्रम विभाग द्वारा नियोजित व्युत्ताम मजदूरी</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>2.</td>
<td>3.</td>
<td>4.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. अक्कुशल</td>
<td>2. अर्द्ध कुशल</td>
<td>3. कुशल</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*ई.एफ. एवं ई.एस.आई. की दर मानव संसाधन की अनुमानित संख्या पर प्रेरण पर समान रूप से लागू होगी।

खेतवाही फार्म पर फसलों में किये जाने वाले कृषि कार्य

<table>
<thead>
<tr>
<th>क.सं.</th>
<th>कार्य की प्रकृति</th>
<th>कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या</th>
<th>श्रम विभाग द्वारा नियोजित व्युत्ताम मजदूरी</th>
<th>सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रति</th>
<th>EPF दर प्रतिशत</th>
<th>ESI दर प्रतिशत</th>
<th>सेवा प्रदाता का सहीमित प्रति व्यक्ति प्रति राशि</th>
<th>कुल राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>2.</td>
<td>3.</td>
<td>4.</td>
<td>5.</td>
<td>6.</td>
<td>7.</td>
<td>8.</td>
<td>9.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. निराई–गुड़ाई सभी फसले</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9080/–</td>
<td>प्रति है</td>
<td></td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>कटाई, क्वाइ एवं इक्सट्रा करना</td>
<td>(8) खाद्यान फसले</td>
<td>8520/– प्रति है.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(6) दलहनी,एवं अन्य रक्षा फसलों व खरीफ फसलों।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>मुग्गा, चाला की फसलों गुड़ाई दो बार</td>
<td></td>
<td>9080/– प्रति है.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>ट्रेकटर द्वारा शिशिंग गेंदू, जो, चना, मूंगफली</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>सिंचाई</td>
<td>स्त्रीकरण द्वारा दिन–रात (सिंचाई अवधि 4 घंटे)</td>
<td>8545/– प्रति है.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1295/–</td>
<td>प्रति है</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*ई.एफ. एवं ई.एस.आई. की दर मानव संसाधन की अनुमानित संख्या पर प्रेरण पर समान रूप से लागू होगी।

[Signatures]